प्रेस नोट

थाना- धौलाना **दिनांक:- 02-11-2022**

- **थाना धौलाना पुलिस ने 05 दिन पूर्व क्षेत्रान्तर्गत हुई गोली मारने की घटना का किया सफल अनावरण।**
- **वादी ने ही रची थी गोली लगने की झूठी साजिश।**
- **जमीन के विवाद में अपनी भाभी व रिश्तेदारों को फंसाने के उद्देश्य से वादी ने स्वयं ही मारी थी अपने हाथ में गोली।**
- **वादी/अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा मय कारतूस बरामद।**

संक्षिप्त विवरण:-

थाना धौलाना पर दिनांक 27.10.22 को एक व्यक्ति को गोली लगने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पंहुचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 498/22 धारा 307/506 भादवि बनाम सगीर पुत्र कलुआ निवासी बस अड्डा धौलाना कस्बा थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर व शमशाद पुत्र अमानउल्ला निवासी बिलासपुर थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्ध नगर व भाभी अफसाना पत्नी आरिफ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना की गहनता से जांच कर सफल अनावरण हेतु सम्बन्धित आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना धौलाना पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 498/22 धारा 307,506 भादवि का सफल अनावरण करते हुए घटना की झूठी कहानी रचने वाले वादी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदेही पर एक अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना धौलाना पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थानः- अभियुक्त का मस्कन।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राशिद पुत्र बाबू खां निवासी मौ0 नई बस्ती कस्बा व थाना धौलाना जनपद हापुड़।

बरामदगी का विवरणः-

एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री बालेन्द्र सिंह थाना धौलाना जनपद हापुड।
2. है0का0 77 सुरेन्द्र सिंह थाना धौलाना जनपद हापुड।
3. का0 223 सुमित कुमार थाना धौलाना जनपद हापुड।